राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001(Ph&Fax :01472-294001;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023–24/5956 दिनांक : 27.7.2023

निमित्त,

JIO Digital Life Private Limited ,

Kota (Raj.)

विषय :– Permission for laying underground OFC in Forest area along road from Vijaipur - Rooppura from Lat/Long 24.791558/75.718341 to 24.765172/75.740787 for total length of 4.063 KM and total area **0.1828** ha in Chittorgarh District, Rajasthan. (FP/RJ/OFC/144983/2021)

प्रसंग :– राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्र क्रमांक प. 1 (15)वन/2023 जयपुर दिनांक 28.6.2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्ष, (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (व्व्ठ) 2021/एफसीए/प्रमुवसं/6633--34 दिनांक 4.7.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्र क्रमांक प. 1 (15)वन/2023 जयपुर दिनांक 28.6.2023 द्वारा 0.1828 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तो के अधिन जारी की गई है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिवक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैर/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी तथा निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2023 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

→ उक्त शर्तों के सापेक्ष शर्त संख्या 1 से 11 के शर्तों की अनुपालना के संबंध में वचनबद्धता इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

→ शर्त संख्या 4 अनुसार CAMPA fund में राशि जमा कराने हेतु मांग का विवरण निम्नानुसार है :–

A. Entire Amount for CA Demand as :-

1. CA DFL (1 Ha. In Nursery Parisar Chittorgarh 100 Plants)

	= Rs. 5,94,450/-
Total CA Demanded	= Rs. **5,94,450/-**
B. NPV Amount (@ 8,03,000/- per Ha. for 0 Ha.)	= Rs. 0/-
Total Amount to be deposited in CAMPA fund .	= Rs. **5,94,450/-**

→ अतः राशि रू. पॉच लाख चौरानवे हजार चार सौ पचास रू. मात्र कैम्पा मद में शर्त संख्या 4 के अनुसार *e-portal* (*https://parivesh.nic.in*) में जमा करा कर अवगत कराए।

उपरोक्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर एवं उपरोक्त वर्णित आदेश व राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने एवं वांछित राशि जमा कराए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रकरण में अग्रिम कारवाई की जाएगी।

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023–24/5957-58 **दिनांक :** 27.7.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान – जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़